न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी नेहा राठी आर0ए0एस

मुकदमा नं0 14/2025

1. रामपाल पुत्र नोलाराम
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र रूपाराम
3. कजोडमल पुत्र गुमानाराम
4. भंवरलाल पुत्र रामचन्द्र

समस्त जाति रैगर नि0 हिंगोनिया तह0 जोबनेर जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. नानूराम पुत्र गोमाराम जाति रैगर नि0 हिंगोनिया तह0 जोबनेर जिला जयपुर
2. मोतीलाल वर्मा पुत्र गुल्लाराम जाति बलाई नि0 मोहन का बास तह0 कि0 रेनवाल जिला जयपुर।
3. तहसीलदार, जोबनेर
4. सब रजिस्ट्रारा, जोबनेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री लोकेश कुमार शर्मा वकील प्रार्थीगण

2. श्री प्रेमचन्द भहडा अप्रार्थी सं0 01 व 02

दिनांक :– 29/09/2025

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 345/2 रकबा 0.6323 हे0 वाकै ग्राम हिंगोनिया तहसील जोबनेर में स्थित है जो पूर्व में गोमा पुत्र नाथू रैगर नि0 हिंगोनिया की खातेदारी में दर्ज थी जो इस वाद में विवादित आराजी है। वादीगण के पिता व प्रतिवादी सं0 1 के पिता आपस में कबिले भाई थे तथा विवादित आराजी को प्रतिवादी सं0 1 के पिता स्व0 गोमाराम ने वादीगण के पिता क्रमशः स्व0 नोलाराम, स्व0 गुमानाराम, स्व0 रूपाराम व स्व0 रामचन्द्र को बेचान कर कब्जा आराजी का उन्हें संभला दिया था तथा बेचान की सम्पूर्ण राशि स्व0 गोमाराम ने वादीगण के पिताओ से प्राप्त कर ली थी जिसके संबंध में एक लिखावट भी स्व0 गोमाराम द्वारा गवाहान के समक्ष दिनांक 1.8.1979 को लिखी गई तथा विवादग्रस्त आराजी में हक व अधिकार स्व0 गोमाराम के थे उन्हें लिखावट दिनांक 1.8.79 के जरिये स्व0 नोलाराम, स्व0 गुमानाराम, स्व0 रूपाराम व स्व0 रामचन्द्र वादीगण के पिताओ के पक्ष में त्याग कर दिये थे तथा वादीगण के पिता उक्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर आराजी का उपयोग

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

उपभोग करते आ रहे थे एवं उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण उक्त आराजी पर काबिज एवं उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है एवं वर्तमान में काबिज काश्त है। जब तक गोमाराम जीवित रहे विवादित आराजी में वादीगण के हक व अधिकार को स्वीकार कर विवादित आराजी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में वादीगण व उनके बुजुर्गों के कभी वाद विवाद नहीं किया, ना ही उनके अधिकार व स्वत्व को नकारा तथा वादीगण के पिताओ व वादीगण को हमेशा यह आश्वासन व विश्वास दिलाते रहे कि विवादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा काश्त तो बदस्तूर है जब भी चाहोगे आराजी उनके नाम दर्ज करा देगे। इसी दौरान 2021 में गोमाराम का स्वर्गवास हो गया और गोमाराम के स्वर्गवास के पश्चात उसके विधिक वारिसान ने भी वादीगण को आसवाश्न दिया था कि विवादित आराजी से उनका कोई संबंध व ताल्लुक नही है। दिनांक 1.3.2025 को प्रतिवादी सं0 2 अपने कुछ सहयोगियो के साथ विवादित आराजी पर आया और आराजी को उसने अपनी होना जाहिर कर उक्त आराजी पर कब्जा किये जाने की चर्चा करने लगे। वादिगण ने विवादित आराजी का राजस्व रिकार्ड प्राप्त किया तो वादीगण को इस तथ्य की जानकार हुई कि वादग्रस्त आराजी से स्व0 गोमा का विरासत का नामांतकरण दर्ज होने के पश्चात उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी सं0 1 के अतिरिक्त वे उक्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.1.25 को बेचान कर दी गई है।

विवादग्रस्त आराजी स्व0 गोमाराम ने अपने जीवनकाल में ही उक्त आराजी वादीगण के पिताओ के बेचान कर अपने समस्त हक व अधिकार उनके पक्ष में त्याग कर दिये थे एवं स्व0 गोमाराम के वारिसान को विवादित आराजी को अन्य को बेचान, रहन, हस्तान्तरण किये जाने के कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसके बावजूद भी उनके द्वारा जो बेचान पत्र दिनांक 27.1.25 को प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में बिना कब्जे के पंजीकृत कराया गया है वह वादीगण के मुकाबले अवैध व शून्य है जिसके आधार पर प्रतिवादी सं0 2 को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। उक्त अवैध व शून्य विक्रय पत्र के आधार पर जो खातेदारी प्रतिवादी सं0 2 के नाम दर्ज हुई है वह भी काननू अवैध है। इसलिए वादीगण को अपने हक व अधिकारो की घोषणा के लिए यह वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि दौराने वाद अप्रार्थी–प्रतिवादी सं0 1 व 2 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 345/2 रकबा 0.6323 हे0 वाकै ग्राम हिंगोनिया तह0 जोबनेर में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करे, विवादग्रस्त आराजी

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर.

Scanned with OKEN Scanner

को जरिये रहन, दान, विक्रय, हस्तानान्तरण नहीं करे एवं मौके व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 मय अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर आए। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

बहस वकील फरीकेन पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

01 **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड विवादित आराजी खसरा खसरा नंबर 345/2 वाकै ग्राम हिंगोनिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है, जो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि विवादग्रस्त आराजी का स्व0 गोमाराम ने अपने जीवनकाल में ही वादीगण के पिताओ के बेचान कर अपने समस्त हक व अधिकार उनके पक्ष में त्याग कर दिये थे एवं स्व0 गोमाराम के वारिसान को विवादित आराजी को अन्य को बेचान, रहन, हस्तान्तरण किये जाने के कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। परन्तु इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए है। वर्तमान जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त आराजी के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। किसी भी खातेदार काश्तकार को अपनी भूमि को उपजाउ बनाने एवं स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है। जहां तक प्रश्न बेचान पत्र दिनांक 27.1.25 को अवैध व शून्य है घोषित करने का है, प्रार्थीगण द्वारा बेचान पत्र की कोई प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा बेचान पत्र को अवैध व शून्य घोषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इस प्रकार प्रार्थीगण अपने कथनों को सिद्व करने में प्रथम दृष्टया असफल रहे है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है।

02 **सुविधा सन्तुलन** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा आराजी खसरा खसरा नंबर 345/2 वाकै ग्राम हिंगोनिया तहसील जोबनेर जिला जयपुर में स्थित है, जो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसके अप्रार्थी संख्या 1 व 2 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। किसी भी खातेदार काश्तकार को अपनी भूमि को उपजाउ बनाने एवं स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है। यदि वादग्रस्त आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार/अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थीगण के लिए ही असुविधाजनक ही होगा। अतः असुविधा भी प्रार्थी की तुलना में अप्रार्थीगण को होगी।

03 अपूरणीय क्षति :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थीगण को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर०टी० एक्ट खारिज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 24/03/2025 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29/09/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Neha

(नेहा राठी RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर, जिला-जयपुर

Scanned with OKEN Scanner